



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2011/फाल्गुन 9, 1932

No. 380]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2011/PHALGUNA 9, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2011

का.आ. 447(अ).—केंद्रीय सरकार ने लेखा मानकों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से सा.का.नि. सं. 739(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2006 द्वारा कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 विरचित किए थे, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210 की उपधारा (1) और धारा 211 की उपधारा (3ग) के साथ पठित, धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. (i) सा.का.नि. 212(अ), तारीख 27 मार्च, 2008 और (ii) सा.का.नि. 225(अ), तारीख 31 मार्च, 2009 द्वारा संशोधित किया गया था ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 641 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की विद्यमान अनुसूची 6 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची 6 रखती है, अर्थात् :-

“अनुसूची 6

(धारा 211 देखें)

तुलनपत्र के शीर्ष के ऊपर सम्मिलित किए गए टिप्पणों के अतिरिक्त किसी कंपनी का तुलनपत्र और लाभ तथा हानि विवरण तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश

साधारण अनुदेश

1. जहां अधिनियम के अधीन अपेक्षाओं का, जिसके अंतर्गत कंपनियों को लागू लेखा मानक भी हैं, अनुपालन व्यवहार या प्रकटन में किसी परिवर्तन की अपेक्षा करता है, जिसमें वित्तीय विवरणों या उनका भाग बनने वाले विवरणों के शीर्ष/उपशीर्ष में परिवर्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन या लोप अथवा परस्पर परिवर्तन सम्मिलित हैं, वहां ऐसे परिवर्तन कारित किए जाएंगे और तदनुसार अनुसूची 6 की अपेक्षाएं उपांतरित हो जाएंगी ।

2. इस अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 में विनिर्दिष्ट प्रकटन अपेक्षाएं, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित लेखा मानकों में विनिर्दिष्ट प्रकटन अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी और न कि उनके प्रतिस्थापन में। लेखा मानकों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रकटन, जब तक कि वित्तीय विवरणों के मुख पर प्रकटन करना अपेक्षित न हो लेखा संबंधी टिप्पणों में या अतिरिक्त विवरणों के माध्यम से किए जाएंगे। इसी प्रकार, कंपनी अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित सभी अन्य प्रकटन, इस अनुसूची में अधिकथित अपेक्षाओं के अतिरिक्त लेखा संबंधी टिप्पणों में किए जाएंगे।

3. लेखा संबंधी टिप्पणों में, वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सूचना के अतिरिक्त सूचना अंतर्विष्ट होगी और वे जहां कहीं अपेक्षित हो, (क) उन विवरणों में मान्यता प्रदान की गई मदों का ब्यौरेवार वर्णन या असमूहन और (ख) उन मदों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराएंगे, जो उन विवरणों में मान्यता दिए जाने के लिए अर्हित नहीं हैं।

तुलन पत्र और लाभ तथा हानि विवरण के मुख पर वर्णित प्रत्येक मद का, लेखा संबंधी टिप्पणों में दी गई किसी संबद्ध सूचना के प्रति निर्देश उपलब्ध कराया जाएगा। लेखा संबंधी टिप्पणों सहित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, ऐसे अत्यधिक ब्यौरे, जो वित्तीय विवरणों के उपयोक्ताओं की सहायता नहीं करेंगे, प्रस्तुत करने और अत्यधिक समूहन के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सूचना को उपलब्ध न कराने के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा।

4. कंपनी की आवर्त पर निर्भर करते हुए, वित्तीय विवरणों में दर्शित आंकड़ों को निम्नानुसार पूर्णांक बनाया जा सकेगा :

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| (i) एक सौ करोड़ रुपए से कम | निकटतम सौ, हजार, लाख या 10 लाख, या दशमलव में। |
| (ii) एक सौ करोड़ रुपए या अधिक | निकटतम लाख, दस लाख या करोड़ या उसके दशमलव में। |

यदि मापमान की किसी इकाई का उपयोग किया जाता है तो वित्तीय विवरणों में एकसमान रूप से उस इकाई का उपयोग किया जाना चाहिए।

5. कंपनी के समक्ष रखे गए प्रथम वित्तीय विवरणों की दशा में के सिवाय (उसके निगमन के पश्चात्), टिप्पणों सहित वित्तीय विवरणों में दर्शित सभी मदों के लिए तुरंत पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि के संबंध में तत्समान रकमों (समतुलनाओं) को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

6. इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, इसमें प्रयुक्त पद लागू लेखा विवरणों के अनुसार होंगे।

टिप्पण

अनुसूची का यह भाग तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि विवरण (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए “वित्तीय विवरण” कहा गया है) और टिप्पणों के मुख पर प्रकटन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं अधिकथित करता है। रेखा मदों, उपरेखा मदों और कुल योगों को वित्तीय विवरणों के मुख पर परिवर्धन या प्रतिस्थापन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जब ऐसा प्रस्तुतिकरण कंपनी की वित्तीय स्थिति या कार्यपालन को समझने या उद्योग/सेक्टर विनिर्दिष्ट प्रकटन अपेक्षाओं

को पूरा करने के लिए सुसंगत है या जब वह कंपनी अधिनियम के संशोधनों या लेखा मानकों के अनुपालन के लिए अपेक्षित हो।

भाग 1-- तुलन-पत्र का प्रारूप

कंपनी का नाम.....

तारीखको तुलन-पत्र

(..... रूप में)

	विवरण	टिप्पण सं.	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यथास्थित आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यथास्थित आंकड़े
I.	साम्या और दायित्व			
(1)	शेयरधारकों की निधियां (क) शेयर पूंजी (ख) आरक्षितियां और अधिशेष (ग) शेयर वारंटों के प्रति प्राप्त धन			
(2)	आबंटन लंबित रहने के दौरान शेयर आवेदन धन			
(3)	गैर-चालू दायित्व (क) दीर्घकालिक उधार (ख) आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) (ग) अन्य दीर्घकालिक दायित्व (घ) दीर्घकालिक उपबंध			
(4)	चालू दायित्व (क) अल्पकालिक उधार (ख) व्यापार देय (ग) अन्य चालू दायित्व (घ) अल्पकालिक उपबंध			

	योग			
II.	आस्तियां			
	गैर-चालू आस्तियां			
(1)	(क) नियत आस्तियां (i) मूर्त आस्तियां (ii) अमूर्त आस्तियां (iii) चालू पूंजी संकर्म (iv) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां (ख) गैर-चालू निवेश (ग) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध) (घ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (ङ) अन्य गैर-चालू आस्तियां			
(2)	चालू आस्तियां (क) चालू निवेश (ख) सूचियां (ग) व्यापार प्राप्य (घ) नकद और नकद समतुल्य (ङ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (च) अन्य चालू आस्तियां			
	योग			

वित्तीय विवरणों के साथ लगे टिप्पण देखें ।

टिप्पण**तुलन-पत्र तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश**

1. किसी आस्ति को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाएगा, जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी को पूरा करती है :

- (क) कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में उसकी वसूली प्रत्याशित है या वह विक्रय या उपभोग के लिए आशयित है ;
- (ख) उसे मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए धारित किया जाता है ;
- (ग) यह आशा की जाती है कि उसे रिपोर्टिंग तारीख के पश्चात् बारह मास के भीतर वसूल किया जाएगा ; या
- (घ) जब तक कि उसका विनिमय निर्बंधित न हो, वह नकद या नकद समतुल्य है या उसका उपयोग रिपोर्टिंग तारीख के पश्चात् कम से कम बारह मास के लिए किसी दायित्व के समाधान में किया जाता है ।

अन्य सभी आस्तियों को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

2. कोई प्रचालन चक्र, प्रसंस्करण के लिए अर्जन और नकद या नकद समतुल्य के रूप में उनकी वसूली के बीच का समय है । जहां सामान्य प्रचालन चक्र की पहचान नहीं की जा सकती वहां उसे बारह मास की अवधि का माना जाएगा ।

3. किसी दायित्व को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाएगा, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी को पूरा करता है :

- (क) यह आशा की जाती है कि उसका समाधान कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में किया जाएगा ;
- (ख) इसे मुख्यतः व्यापार करने के प्रयोजन के लिए धारित किया जाता है ;
- (ग) इसका समाधान रिपोर्टिंग तारीख के पश्चात् बारह मास के भीतर किया जाना है ; या
- (घ) कंपनी के पास, रिपोर्टिंग तारीख के पश्चात् कम से कम बारह मास के लिए दायित्व का समाधान आस्थगित करने का बिना-शत अधिकार नहीं है । किसी दायित्व के निबंधन, जिनके परिणामस्वरूप प्रति पक्षकार के विकल्प पर, साम्या लिखतें जारी करके उसका समाधान किया जा सकेगा, उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं ।

अन्य सभी दायित्वों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

4. किसी प्राप्य को तब 'व्यापार प्राप्य' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि वह कारबार के सामान्य अनुक्रम में विक्रय किए गए माल या प्रदत्त सेवाओं के मद्दे शोध्द रकम से संबंधित है ।

5. किसी देय को तब 'व्यापार प्राप्य' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि वह कारबार के सामान्य अनुक्रम में क्रय किए गए माल या प्रदत्त सेवाओं के मद्दे शोध्द रकम से संबंधित है ।

6. कोई कंपनी लेखा संबंधी टिप्पणों में निम्नलिखित को प्रकट करेगी :

क. शेयर पूंजी

शेयर पूंजी के प्रत्येक वर्ग के लिए :

- (क) प्राधिकृत शेयरों की संख्या और रकम ;
- (ख) निर्गम किए गए, अभिदत्त और अभिदत्त किंतु जो पूर्ण समादत्त नहीं हैं, शेयरों की संख्या ;
- (ग) अंकित मूल्य, प्रति शेयर ;
- (घ) अवधि के प्रारंभ और अंत पर बकाया शेयरों की संख्या का समाधान ;
- (ङ) शेयरों के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकार, अधिमानताएं और निर्बंधन, जिनके अंतर्गत लाभांश के वितरण और पूंजी के प्रतिदाय पर निर्बंधन भी हैं ;
- (च) धारक कंपनी या अंततोगत्वा धारक कंपनी द्वारा कंपनी में प्रत्येक वर्ग के संबंध में धारित शेयर, जिनके अंतर्गत धारक कंपनी या अंततोगत्वा धारक कंपनी की अनुषंगी या सहबद्ध कंपनियों द्वारा सकल रूप में धारित शेयर भी हैं ;
- (छ) 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा कंपनी में धारित शेयर, धारित शेयरों की संख्या विनिर्दिष्ट करते हुए ;
- (ज) शेयरों के विक्रय/विनिवेश के लिए विकल्पों और संविदाओं/प्रतिबद्धताओं के अधीन निर्गम के लिए आरक्षित शेयर ;
- (झ) उस तारीख से, जिसको तुलन-पत्र तैयार किया जाता है, तुरंत पूर्ववर्ती पांच वर्ष की अवधि के लिए :
 - नकद में बिना संदाय के संविदा (संविदाओं) के अनुसरण में प्राप्त किए जाने वाले पूर्ण समादत्त के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या और वर्ग ;
 - बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्ण समादत्त के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या और वर्ग ;
 - वापस क्रय किए गए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग ;
- (ञ) संपरिवर्तन की पूर्वतम तारीख के साथ निर्गमित साम्या/अधिमानी शेयरों में संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निबंधन, सबसे दूर ऐसी तारीख से आरंभ करते हुए अवरोही अनुक्रम में ;
- (ट) असंदत्त मांगों (निदेशकों और अधिकारियों द्वारा असंदत्त मांगों के कुल मूल्य को दर्शित करते हुए) ;
- (ठ) जब्त शेयर (मूल रूप में समादत्त रकम) ।

ख. आरक्षितियां और अधिशेष

- (i) आरक्षितियों और अधिशेषों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :
- (क) पूंजी आरक्षितियां ;
- (ख) पूंजी विमोचन आरक्षितियां ;
- (ग) प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षिती ;
- (घ) डिबेंचर विमोचन आरक्षिती ;
- (ङ) पुनः मूल्यांकन आरक्षिती ;
- (च) शेयर विकल्प बकाया लेखा ;
- (छ) अन्य आरक्षितियां - (प्रत्येक आरक्षिती की प्रकृति और प्रयोजन तथा उसके संबंध में रकम विनिर्दिष्ट करें) ;
- (ज) अधिशेष अर्थात् लाभ और हानि के विवरण में अतिशेष, जो लाभांश, बोनस शेयर और आरक्षितियों को/से अंतरण आदि जैसे आबंटनों और विनियोगों को प्रकट करता है ।

(अंतिम तुलन-पत्र के पश्चात् किए गए परिवर्धनों और कटौतियों को विनिर्दिष्ट शीर्षों में से प्रत्येक के अधीन दर्शित किया जाना है)

- (ii) उद्दिष्ट निवेशों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से दर्शित किसी आरक्षिती को एक 'निधि' कहा जाएगा ।
- (iii) लाभ और हानि विवरण के विकलित अतिशेष को 'अधिशेष' शीर्ष के अधीन ऋणात्मक आंकड़े के रूप में दर्शित किया जाएगा । इसी प्रकार, 'आरक्षितियों और अधिशेष' के अतिशेष को अधिशेष के ऋणात्मक अतिशेष, यदि कोई हो, का समायोजन करने के पश्चात्, दर्शित किया जाएगा, तब भी जब पारिणामिक आंकड़े ऋणात्मक हों ।

ग. दीर्घकालिक उधार

- (i) दीर्घ-कालिक उधारों को निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :
- (क) बंधपत्र/डिबेंचर
- (ख) सावधि ऋण
- बैंकों से
 - अन्य पक्षकारों से
- (ग) आस्थगित संदाय दायित्व
- (घ) निक्षेप
- (ङ) संबद्ध पक्षकारों से ऋण और अग्रिम
- (च) वित्त पट्टा बाध्यताओं की दीर्घ-कालिक भुगतान तारीखें
- (छ) अन्य ऋण और अग्रिम (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

- (ii) उधारों को आगे और सुरक्षित और असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रत्येक मामले में सुरक्षा की प्रकृति को पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (iii) जहां ऋणों को निदेशकों या अन्यो के द्वारा प्रतिभू किया गया है वहां प्रत्येक शीर्ष के अधीन ऐसे ऋणों की कुल रकम को प्रकट किया जाएगा।
- (iv) बंधपत्रों/डिबेंचरों (ब्याज की दर और यथास्थिति, विमोचन या संपरिवर्तन की विशिष्टियों के साथ) को, यथास्थिति, विमोचन या संपरिवर्तन की सबसे दूर की तारीख से प्रारंभ करते हुए परिपक्वता या संपरिवर्तन के अवरोही अनुक्रम में कथित किया जाएगा। जहां बंधपत्र/डिबेंचर किस्तों में विमोचनीय हैं, वहां इस प्रयोजन के लिए परिपक्वता की तारीख को उस तारीख के रूप में गणना में लिया जाएगा, जिसको पहली किस्त शोध्य हो जाती है।
- (v) किन्हीं ऐसे विमोचित बंधपत्रों/डिबेंचरों की, जिनका पुनः निर्गम करने की शक्ति कंपनी के पास है, विशिष्टियां प्रकट की जाएगी।
- (vi) सावधि ऋण और अन्य ऋणों के प्रतिदाय के निबंधनों का कथन किया जाएगा।
- (vii) ऋणों/बंधपत्रों/डिबेंचरों और ब्याज के प्रतिदाय में तुलन-पत्र की तारीख को जारी रहने वाले व्यतिक्रम की अवधि और प्रकृति को प्रत्येक मामले में पृथक् रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

घ. अन्य दीर्घ-कालिक दायित्व

अन्य दीर्घकालिक दायित्वों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :

(क) व्यापार देय

(ख) अन्य

ङ. दीर्घकालिक उपबंध

रकमों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :

(क) कर्मचारी फायदों संबंधी उपबंध

(ख) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

च. अल्पकालिक उधार

(i) अल्पकालिक उधारों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :

(क) मांग पर प्रतिदेय ऋण

• बैंकों से

• अन्य पक्षकारों से

(ख) संबद्ध पक्षकारों से ऋण और अग्रिम

(ग) निक्षेप

(घ) अन्य ऋण और अग्रिम (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

- (ii) उधारों को आगे और सुरक्षित और असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रत्येक मामले में सुरक्षा की प्रकृति को पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (iii) जहां ऋणों को निदेशकों या अन्यो के द्वारा प्रतिभू किया गया है वहां प्रत्येक शीर्ष के अधीन ऐसे ऋणों की कुल रकम को प्रकट किया जाएगा।
- (iv) ऋणों और ब्याज के प्रतिदाय में तुलन-पत्र की तारीख को व्यतिक्रम की अवधि और प्रकृति को प्रत्येक मामले में पृथक् रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

छ. अन्य चालू दायित्व

रकमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :

- (क) दीर्घकालिक कर्जों की वर्तमान परिपक्वताएं ;
- (ख) वित्त पट्टा बाध्यताओं की वर्तमान परिपक्वताएं ;
- (ग) उधारों पर प्रोदभूत ऐसा ब्याज जो शोध्य नहीं है ;
- (घ) उधारों पर प्रोदभूत और शोध्य ब्याज ;
- (ङ) अग्रिम में प्राप्त आय ;
- (च) असंदत्त लाभांश ;
- (छ) प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन धन जो प्रतिदाय के लिए शोध्य है और उस पर प्रोदभूत ब्याज। शेयर आवेदन धन में, शेयर पूंजी के आबंटन के मद्दे अग्रिम सम्मिलित हैं। निर्गम के लिए प्रस्तावित शेयरों की संख्या, प्रीमियम की रकम, यदि कोई हो, और उस अवधि जिससे पूर्व शेयरों को आबंटित किया जाएगा, सहित निबंधनों और शर्तों को प्रकट किया जाएगा। यह भी प्रकट किया जाएगा कि क्या कंपनी के पास ऐसे शेयर आवेदन धन में से शेयरों के आबंटन के परिणामस्वरूप शेयर पूंजी को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त प्राधिकृत पूंजी है। इसके अतिरिक्त, उस अवधि, जिसके लिए शेयर आवेदन धन, विवरणिका या शेयरों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले दस्तावेज में यथा उल्लिखित आबंटन की अवधि से परे लंबित है, को ऐसे शेयर आवेदन धन के लंबित रहने के कारणों के साथ प्रकट किया जाएगा। निर्गमित पूंजी से अनधिक शेयर आवेदन धन को उस सीमा तक, जिस तक वह प्रतिदेय नहीं है, साम्या शीर्ष के अधीन दर्शित किया जाएगा और प्रतिदेय की सीमा तक शेयर आवेदन धन, अर्थात् अभिदाय से अधिक की रकम या उस दशा में, जहां न्यूनतम अभिदाय की अपेक्षा पूरी नहीं होती है, को पृथक् रूप से 'अन्य चालू दायित्वों' के अधीन दर्शित किया जाएगा। ;
- (ज) असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उन पर प्रोदभूत ब्याज ;
- (झ) असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और उन पर प्रोदभूत ब्याज ;

- (ज) अन्य देय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) ;
- ज. अल्पकालिक उपबंध
रकमों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :
- (क) कर्मचारी फायदों संबंधी उपबंध ।
(ख) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) ।
- झ. भूत आस्तियां
- (i) वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा :
- (क) भूमि
(ख) भवन
(ग) संयंत्र और उपकरण
(घ) फर्नीचर और फिक्सचर
(ङ) वाहन
(च) कार्यालय उपकरण
(छ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)
- (ii) बट्टे के अधीन आस्तियों को आस्ति के प्रत्येक वर्ग के अधीन पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
- (iii) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत पर आस्तियों के प्रत्येक वर्ग की सकल और शुद्ध मूल्य रकमों का समाधान, जिसमें कारबार संयोजनों और अन्य समायोजनों के माध्यम से किए गए परिवर्धन, व्ययन, अर्जन भी दर्शित किए जाएंगे और संबंधित अवमूल्यन और क्षति, हानियों/उत्क्रमण को पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा ।
- (iv) जहां पूंजी में कमी या आस्तियों के पुनः मूल्यांकन के कारण राशियों को बट्टे खाते में डाला गया है या जहां आस्तियों के पुनः मूल्यांकन पर राशियों को जोड़ा गया है, वहां ऐसे बट्टे खाते में डालने या जोड़े जाने की तारीख के पश्चात्पूर्ति प्रत्येक तुलन-पत्र में यथा लागू कम किए या बढ़ाए गए आंकड़ों को दर्शित किया जाएगा और ऐसी कमी या वृद्धि की तारीख के पश्चात् पहले पांच वर्षों के लिए टिप्पण के माध्यम से यथा लागू कम की गई या बढ़ाई गई रकमों को भी उनकी तारीख के साथ दर्शित किया जाएगा ।
- ञ. अन्य अभूत आस्तियां
- (i) वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा :
- (क) मुद्रा,
(ख) ब्रांड/व्यापार चिन्ह
(ग) कंप्यूटर साफ्टवेयर

- (घ) मुख्य शीर्षक और प्रकाशनोप शीर्षक
 - (ङ) खनन अधिकार
 - (च) प्रतिनिध्याधिकार और पेटेंट्स और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाएं और प्रचालन अधिकार
 - (छ) नुस्खे, सूत्र, मॉडल, डिजाइन और प्रोटोटाइप
 - (ज) अनुज्ञप्तियां और विशेषाधिकार
 - (झ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)
- (ii) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत पर आस्तियों के प्रत्येक वर्ग की सकल और शुद्ध मूल्य रकमों का समाधान, जिसमें कारबार संयोजनों और अन्य समायोजनों के माध्यम से किए गए परिवर्धन, व्ययन, अर्जन भी दर्शित किए जाएंगे और संबंधित अवमूल्यन और क्षति, हानियों/उत्क्रमण को पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा।
- (iii) जहां पूंजी में कमी या आस्तियों के पुनः मूल्यांकन के कारण राशियों को बट्टे खाते में डाला गया है या जहां आस्तियों के पुनः मूल्यांकन पर राशियों को जोड़ा गया है, वहां ऐसे बट्टे खाते में डालने या जोड़े जाने की तारीख के पश्चात्पूर्ति प्रत्येक तुलन-पत्र में यथा लागू कम किए या बढ़ाए गए आंकड़ों को दर्शित किया जाएगा और ऐसी कमी या वृद्धि की तारीख के पश्चात् पहले पांच वर्षों के लिए टिप्पण के माध्यम से यथा लागू कम की गई या बढ़ाई गई रकमों को भी उनकी तारीख के साथ दर्शित किया जाएगा।

ट. गैर-चालू निवेश

- (i) गैर चालू निवेशों को व्यापार निवेश और अन्य निवेशों के रूप में और इसके अतिरिक्त निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :
- (क) संपत्ति निवेश
 - (ख) साम्या संबंधी लिखतों में निवेश
 - (ग) अधिमानी शेयरों में निवेश
 - (घ) शासकीय या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश
 - (ङ) डिबेंचरों या बंधपत्रों में निवेश
 - (च) परस्पर निधियों में निवेश
 - (छ) भागीदारी फर्मों में निवेश
 - (ज) अन्य गैर-चालू निवेश (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

प्रत्येक वर्गीकरण के अधीन, ऐसे निगमित निकायों के नामों (पृथक् रूप से यह उपदर्शित करते हुए कि क्या ऐसे निकाय (i) अनुषंगी, (ii) सहबद्ध, (iii) संयुक्त उद्यम, या (iv) नियंत्रित विशेष प्रयोजन अस्तित्व हैं) के ब्यौरे दिए जाएंगे, जिनमें निवेश किए गए हैं और साथ ही प्रत्येक निगमित

निकाय में निवेश की प्रकृति और सीमा के ब्यौरे भी दिए जाएंगे (ऐसे निवेशों को पृथक् रूप से दर्शित करते हुए, जिन्हें आंशिक रूप से संदत्त किया गया है) । जहां तक भागीदारी फर्मों की पूंजी में निवेश का संबंध है, फर्मों के नाम दिए जाएंगे (उनके सभी भागीदारों के नाम, कुल पूंजी और प्रत्येक भागीदार के शेयरों के साथ) ।

- (ii) लागत पर किए गए निवेशों से भिन्न निवेशों को, उनके मूल्यांकन के आधार को विनिर्दिष्ट करते हुए पृथक् रूप से कथित किया जाएगा ।
- (iii) निम्नलिखित को भी प्रकट किया जाएगा :
 - (क) कोट किए गए निवेशों की सकल रकम और उनका बाजार मूल्य ;
 - (ख) कोट नहीं किए गए निवेशों की सकल रकम ;
 - (ग) निवेश के मूल्य में हास के लिए सकल उपबंध ।

ठ. दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

- (i) दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :
 - (क) पूंजी अग्रिम
 - (ख) प्रतिभूति निक्षेप
 - (ग) संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (उनके ब्यौरे देते हुए)
 - (घ) अन्य ऋण और अग्रिम (प्रकृति विनिर्दिष्ट करते हुए)
- (ii) उपरोक्त को निम्नलिखित रूप में पृथक् रूप से उपवर्गीकृत भी किया जाएगा :
 - (क) सुरक्षित, उत्तम माने गए,
 - (ख) असुरक्षित, उत्तम माने गए,
 - (ग) संदेहास्पद
- (iii) बट्टे खाते वाले और संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए मोक को पृथक् रूप से सुसंगत शीर्षों के अधीन प्रकट किया जाएगा ।
- (iv) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ पृथक् या संयुक्ततः शोध्य ऋणों और अग्रिमों को या क्रमशः ऐसी फर्मों या निजी कंपनियों, जिसमें निदेशक एक भागीदार, निदेशक या सदस्य है, द्वारा शोध्य रकमों को पृथक् रूप से कथित किया जाना चाहिए ।

ड. अन्य गैर-चालू आस्तियां

अन्य गैर-चालू आस्तियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :

- (i) दीर्घकालिक व्यापार और अन्य प्राप्य (आस्थगित उधार संबंधी निबंधनों पर व्यापार प्राप्यों को सम्मिलित करते हुए)

- (ii) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)
- (iii) दीर्घकालिक व्यापार और अन्य प्राप्यों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :
- (i)(क) सुरक्षित, उत्तम माने गए,
 (ख) असुरक्षित, उत्तम माने गए,
 (ग) संदेहास्पद
- (ii) बट्टे खाते वाले और संदेहास्पद उधारों और रकमों के लिए मोक को पृथक् रूप से सुसंगत शीर्षों के अधीन प्रकट किया जाएगा ।
- (iii) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ पृथक् या संयुक्ततः शोध्य उधारों और रकमों को या क्रमशः ऐसी फर्मों या निजी कंपनियों, जिसमें निदेशक एक भागीदार, निदेशक या सदस्य है, द्वारा शोध्य उधारों को पृथक् रूप से कथित किया जाना चाहिए ।

ढ. चालू निवेश

- (i) चालू निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :

- (क) साम्या संबंधी लिखतों में निवेश
 (ख) अधिमानी शेयरों में निवेश
 (ग) शासकीय या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश
 (घ) डिबेंचरों या बंधपत्रों में निवेश
 (ङ) परस्पर निधियों में निवेश
 (च) भागीदारी फर्मों में निवेश
 (छ) अन्य गैर-चालू निवेश (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

प्रत्येक वर्गीकरण के अधीन, ऐसे निगमित निकायों के नामों (पृथक् रूप से यह उपदर्शित करते हुए कि क्या ऐसे निकाय (i) अनुषंगी, (ii) सहबद्ध, (iii) संयुक्त उद्यम, या (iv) नियंत्रित विशेष प्रयोजन अस्तित्व हैं) के ब्यौरे दिए जाएंगे, जिनमें निवेश किए गए हैं और साथ ही प्रत्येक निगमित निकाय में निवेश की प्रकृति और सीमा के ब्यौरे भी दिए जाएंगे (ऐसे निवेशों को पृथक् रूप से दर्शित करते हुए, जिन्हें आंशिक रूप से संदत्त किया गया है) । जहां तक भागीदारी फर्मों की पूंजी में निवेश का संबंध है, फर्मों के नाम दिए जाएंगे (उनके सभी भागीदारों के नाम, कुल पूंजी और प्रत्येक भागीदार के शेयरों के साथ) ।

- (ii) निम्नलिखित को भी प्रकट किया जाएगा :

- (क) व्यष्टि निवेशों के मूल्यांकन का आधार

- (ख) कोट किए गए निवेशों की सकल रकम और उनका बाजार मूल्य
- (ग) कोट नहीं किए गए निवेशों की सकल रकम
- (घ) निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए किया गया सकल उपबंध ।

ण. सामान सूचियां

- (i) सामान सूचियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :
 - (क) कच्ची सामग्रियां
 - (ख) चालू सामग्रियां
 - (ग) तैयार माल
 - (घ) व्यापार स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित मालों के संबंध में)
 - (ङ) भंडार और अतिरिक्त पूर्ण
 - (च) खुले औजार
 - (छ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)
- (ii) पारगमन में मामलों को सामान सूचियों के सुसंगत उपशीर्ष के अधीन प्रकट किया जाएगा ।
- (iii) मूल्यांकन की पद्धति का कथन किया जाएगा ।

त. व्यापार प्राप्य

- (i) ऐसे व्यापार प्राप्यों की, जो उनका संदाय शोध्य होने की तारीख से छह मास से अधिक अवधि से बकाया हैं, कुल रकम को पृथक् रूप से कथित किया जाना चाहिए ।
- (ii) व्यापार प्राप्यों को निम्नानुसार उपवर्गीकृत किया जाएगा :
 - (क) सुरक्षित, उत्तम माने गए,
 - (ख) असुरक्षित, उत्तम माने गए,
 - (ग) संदेहास्पद
- (iii) बट्टे खाते वाले और संदेहास्पद उधारों और रकमों के लिए मोक को पृथक् रूप से सुसंगत शीर्षों के अधीन प्रकट किया जाएगा ।
- (iv) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ पृथक्तः या संयुक्ततः शोध्य उधारों और रकमों को या क्रमशः ऐसी फर्मों या निजी कंपनियों, जिसमें निदेशक एक भागीदार, निदेशक या सदस्य है, द्वारा शोध्य उधारों को पृथक् रूप से कथित किया जाना चाहिए ।

थ. नकद और नकद समतुल्य

- (i) नकद और नकद समतुल्यों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :

- (क) बैंकों में अतिशेष
 (ख) हाथ में चैक, ड्राफ्ट
 (ग) हाथ में नकदी
 (घ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)
- (ii) बैंकों में उद्दिष्ट अतिशेषों (उदाहरणार्थ असंदत्त लाभांश) को पृथक् रूप से कथित किया जाएगा ।
- (iii) बैंकों में अतिशेषों को उस सीमा तक, जिस तक उन्हें न्यूनतम धन या उधारों के प्रति प्रतिभूति, प्रतिभूतों, अन्य प्रतिबद्धताओं के रूप में धारित किया जाता है, पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा ।
- (iv) नकद और बैंक अतिशेषों के संबंध में देश-प्रत्यावर्तन संबंधी निर्बंधनों, यदि कोई हों, को पृथक् रूप से कथित किया जाएगा ।
- (v) 12 मास से अधिक परिपक्वता अवधि वाले बैंक निक्षेपों को पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा ।
- द. अल्पकालिक ऋण और अग्रिम
- (i) अल्पकालिक ऋणों और अग्रिमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:
- (क) संबंधित पक्षकारों और ऋण और अग्रिम (उनके ब्यौरे देते हुए)
 (ख) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)
- (ii) उपरोक्त को निम्नानुसार भी उपवर्गीकृत किया जाएगा :
- (क) सुरक्षित, उत्तम माने गए,
 (ख) असुरक्षित, उत्तम माने गए,
 (ग) संदेहास्पद
- (iii) बट्टे खाते वाले और संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए मोक को पृथक् रूप से सुसंगत शीर्षों के अधीन प्रकट किया जाएगा ।
- (iv) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ पृथक्तः या संयुक्ततः शोध्य ऋणों और अग्रिमों को या क्रमशः ऐसी फर्मों या निजी कंपनियों, जिसमें निदेशक एक भागीदार, निदेशक या सदस्य है, द्वारा शोध्य रकमों को पृथक् रूप से कथित किया जाना चाहिए ।
- ध. अन्य चालू आस्तियां (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)
- यह एक सर्वसमावेशी शीर्ष है, जो ऐसी चालू आस्तियों को सम्मिलित करता है, जो किसी अन्य आस्ति के लिए उचित नहीं हैं ।
- न. आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं
- (उस सीमा तक जिस तक उनके लिए उपबंध नहीं किया गया है)

- (i) आकस्मिक दायित्वों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :
- (क) कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें उधार के रूप में अभिस्वीकार नहीं किया गया है ;
- (ख) प्रतिभू ;
- (ग) ऐसे अन्य धन, जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है ।
- (ii) प्रतिबद्धताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :
- (क) पूंजी मद्दे निष्पादित किए जाने के लिए शेष ऐसी संविदाओं की अनुमानित रकम, जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया है ;
- (ख) शेयरों और अन्य निवेशों से संबंधित न मांगे गए दायित्व, जिन्हें आंशिक रूप से संदत्त किया गया है ;
- (ग) अन्य प्रतिबद्धताएं । (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)
- प. अवधि के लिए साम्या और अधिमानी शेयरधारकों को वितरित किए जाने के लिए प्रस्तावित लाभांशों की रकम और प्रति शेयर संबंधित रकम को पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा । अविमोचनीय अधिमानी शेयरों पर नियत संचयी लाभांशों के बकाया को भी पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा ।
- फ. जहां किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए की गई प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में पूर्ण रकम या उसके किसी भाग को तुलन-पत्र की तारीख को विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है, वहां एक टिप्पण के माध्यम से यह उपदर्शित किया जाएगा कि अनुप्रयुक्त रकमों को उपयोग या निवेश किस प्रकार किया गया है ।
- ब. यदि बोर्ड की राय में, नियत आस्तियों से भिन्न किन्हीं आस्तियों और गैर-चालू निवेशों की, कारबार के सामान्य अनुक्रम में वसूली पर मूल्य, कम से कम उस मूल्य से कम है, जिस पर उनका कथन किया गया है, वहां इस तथ्य का कथन किया जाएगा कि बोर्ड की ऐसी राय है ।

भाग 2- लाभ एवं हानि के विवरण का प्रपत्र

कंपनी का नाम.....

तारीखको तुलन-पत्र

(..... रूप में)

	विवरण	टिप्पण सं.	वर्तमान अवधि हेतु	रिपोर्टिंग आंकड़े	पिछली अवधि हेतु	रिपोर्टिंग आंकड़े
I.	प्रचालनों से राजस्व		XXX		XXX	
II.	अन्य आय		XXX		XXX	
III.	कुल राजस्व (I+II)		XXX		XXX	
IV.	व्यय उपभोग की गई सामग्रियों की लागत व्यापार स्टॉक का क्रय तैयार माल, व्यापार स्टॉक और चालू संकर्म की सूचियों में परिवर्तन कर्मचारी फायदों संबंधी व्यय वित्त संबंधी लागत अवमूल्यन		XXX XXX XXX		XXX XXX XXX	

	और परिशोधन व्यय अन्य व्यय					
	कुल व्यय			XXX		XXX
V.	आपवादिक और असाधारण मदों से पूर्व लाभ और कर (III-IV)			XXX		XXX
VI.	आपवादिक मदें			XXX		XXX
VII.	असाधारण मदों से पूर्व लाभ (V-VI)			XXX		XXX
VIII.	असाधारण मदें			XXX		XXX
IX.	कर से पूर्व लाभ (VII- VIII)			XXX		XXX
X.	कर संबंधी व्यय: (1) चालू कर (2) आस्थगित कर		XX X XX X		XX X XX X	
XI.	सतत् प्रचालनों से अवधि का लाभ (हानि)(VI I-VIII)			XXX		XXX

XII.	रोक दिए गए प्रचालनों से लाभ (हानि)			XXX		XXX
XIII.	रोक दिए गए प्रचालनों के कर संबंधी व्यय			XXX		XXX
XIV	रोक दिए गए प्रचालनों से लाभ/हानि (कर के पश्चात्) (XII-XIII)			XXX		XXX
XV.	अवधि के लिए लाभ (हानि) (XI+XIV)			XXX		XXX
XVI	उपार्जन प्रति साम्या शेयर: (1) आधारिक (2) तनुकृत			XXX XXX		XXX XXX

वित्तीय विवरणों के साथ लगे टिप्पण देखें ।

टिप्पण**लाभ और हानि विवरण तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश**

1. इस भाग के उपबंध अधिनियम की धारा 210 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आय और व्यय लेखा को उसी रीति में लागू होंगे, जिसमें वे लाभ और हानि के विवरण को लागू होते हैं।
2. (अ) वित्त कंपनी से भिन्न किसी कंपनी के संबंध में, प्रचालनों से राजस्व पृथक् रूप से निम्नलिखित से राजस्व के रूप में टिप्पणों में प्रकट किया जाएगा
 - (क) उत्पादों के विक्रय ;
 - (ख) सेवाओं के विक्रय ;
 - (ग) अन्य प्रचालन राजस्व ;
 घटाएं :
 - (घ) उत्पाद शुल्क ।
 (आ) किसी वित्त कंपनी के संबंध में, प्रचालनों से राजस्व में निम्नलिखित से राजस्व को सम्मिलित किया जाएगा :
 - (क) ब्याज ; और
 - (ख) अन्य वित्तीय सेवाएं
 उपरोक्त शीर्षों में से प्रत्येक के अधीन राजस्व को लागू सीमा तक पृथक् रूप से लेखाओं पर टिप्पण के माध्यम से प्रकट किया जाएगा ।
3. वित्त संबंधी लागतें

वित्त संबंधी लागतों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :

 - (क) ब्याज संबंधी व्यय ;
 - (ख) अन्य उधार संबंधी लागतें (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) ;
 - (ग) विदेशी मुद्रा संव्यवहारों और उनके परिवर्तन पर लागू शुद्ध लाभ/हानि ;
4. अन्य आय

अन्य आय को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :

 - (क) ब्याज आय (वित्त कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में)
 - (ख) लाभांश आय
 - (ग) निवेशों के विक्रय पर शुद्ध लाभ/हानि
 - (घ) अन्य गैर-प्रचालन आय (ऐसे व्ययों का शुद्ध, जो प्रत्यक्ष रूप से ऐसी आय के कारण हैं)
5. अतिरिक्त सूचना

कोई कंपनी निम्नलिखित मदों पर टिप्पणों के माध्यम से कुल व्यय और आय के संबंध में अतिरिक्त सूचना को प्रकट करेगी :

- (i)(क) कर्मचारी फायदे व्यय [पृथक् रूप से (i) वेतन और मजदूरियां, (ii) भविष्य और अन्य निधियों में अभिदाय, (iii) कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम (इएसओपी) और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (इएसपीपी) पर व्यय, (iv) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय दर्शित करते हुए] ;
- (ख) अवमूल्यन और परिशोधन व्यय
- (ग) आय या व्यय की ऐसी कोई मद, जो प्रचालनों से राजस्व के एक प्रतिशत या 1,00,000/- रूपए से अधिक है, जो भी अधिक हो ;
- (घ) ब्याज आय ;
- (ङ) ब्याज व्यय ;
- (च) लाभांश आय ;
- (छ) निवेशों के विक्रय पर शुद्ध लाभ/हानि ;
- (ज) निवेशों के मूल्य की रकम का समायोजन ;
- (झ) विदेशी मुद्रा संव्यवहारों और उनके संपरिवर्तन पर शुद्ध लाभ या हानि (वित्त संबंधी लागत के रूप में माने गए से भिन्न) ;
- (ञ) लेखा परीक्षक को (क) लेखा परीक्षक के रूप में, (ख) कराधान संबंधी मामलों के लिए, (ग) कंपनी विधि संबंधी मामलों के लिए, (घ) प्रबंधन सेवाओं के लिए, (ङ) अन्य सेवाओं के लिए, (च) व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए संदाय ;
- (ट) आपवादिक और असाधारण प्रकृति की मदों के ब्यौरे ;
- (ठ) पूर्व अवधि की मदें
- (ii)(क) विनिर्माण कंपनियों की दशा में,—
- (1) वृहत् शीर्षों के अधीन कच्ची सामग्री
- (2) वृहत् शीर्षों के अधीन क्रय किया गया माल
- (ख) व्यापार कंपनियों की दशा में, कंपनी द्वारा वृहत् शीर्षों के अधीन व्यापार किए गए मामलों के संबंध में किए गए क्रय
- (ग) सेवाएं देने या उनका प्रदाय करने वाली कंपनियों की दशा में, वृहत् शीर्षों के अधीन दी या प्रदाय की गई सेवाओं से उद्भूत सकल आय ।
- (घ) किसी ऐसी कंपनी की दशा में, जो ऊपर (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रवर्गों में से एक से अधिक प्रवर्गों के अंतर्गत आती है, यदि कच्ची सामग्रियों के क्रय, विक्रय और उपभोग तथा प्रदान की गई सेवाओं से सकल आय को वृहत् शीर्षों के अधीन दर्शित किया जाता है तो यह इसमें दी गई अपेक्षाओं का पर्याप्त अनुपालन होगा ।
- (ङ) अन्य कंपनियों की दशा में, वृहत् शीर्षों के अधीन उद्भूत सकल आय ।

- (iii) चालू संकर्मों वाले सभी संबद्ध व्यक्तियों की दशा में, वृहत् शीर्षों के अधीन चालू संकर्म ।
- (iv) (क) आरक्षितियों को अलग रखने या अलग रखने के लिए प्रस्तावित किन्हीं रकमों का योग, यदि सारवान हो, किंतु इसके अंतर्गत तुलन-पत्र तैयार करने की तारीख को यथा विद्यमान होने के लिए ज्ञात किसी विनिर्दिष्ट दायित्व, आकस्मिकता या प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उपबंध नहीं है ।
- (ख) ऐसी आरक्षितियों से वापस ली गई किन्हीं रकमों का योग, यदि सारवान हो ।
- (v) (क) विनिर्दिष्ट दायित्वों, आकस्मिकताओं या प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए किए गए उपबंधों के लिए अलग रखी गई रकमों का योग, यदि सारवान हो ।
- (ख) ऐसे उपबंधों से, अब अपेक्षित न होने के कारण वापस ली गई रकमों का योग, यदि सारवान हो ।
- (vi) निम्नलिखित मदों में से प्रत्येक पर उपात व्यय, प्रत्येक मद के लिए पृथक् रूप से :-
- (क) भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग
- (ख) विद्युत और ईंधन
- (ग) किराया
- (घ) भवनों की मरम्मत
- (ङ) मशीनरी की मरम्मत
- (च) बीमा
- (छ) दरें और कर, आय पर कर को छोड़कर
- (ज) प्रकीर्ण व्यय
- (vii) (क) अनुषंगी कंपनियों से लाभांश
- (ख) अनुषंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध
- (viii) लाभ और हानि लेखा में टिप्पण के माध्यम से निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :-
- (क) निम्नलिखित के संबंध में वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीआईएफ के आधार पर संगणित आयतों का मूल्य--
- I. कच्ची सामग्री
- II. संघटक और अतिरिक्त पूर्जे
- III. पूंजी माल
- (ख) स्वामिस्व, कार्यविधि जानकारी, वृत्तिक और परामर्शी फीस ब्याज और अन्य मामलों के मद्दे वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया विदेशी मुद्रा में व्यय ;

- (ग) वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई सभी आयातित कच्ची सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों और संघटकों का कुल मूल्य और इसी प्रकार उपभोग की गई सभी देशी कच्ची सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों और संघटकों का कुल मूल्य और उनमें से प्रत्येक का कुल उपभोग में प्रतिशत ;
- (घ) अनिवासी शेयरधारकों की कुल संख्या, उनके द्वारा धारित ऐसे शेयरों की कुल संख्या, जिन पर लाभांश शोध्य था और उस वर्ष का, जिससे लाभांश संबंधित था, विनिर्दिष्ट उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान लाभांशों के मद्दे विदेशी मुद्रा में जमा की गई रकम ;
- (ङ) निम्नलिखित शीर्षों के अधीन वर्गीकृत विदेशी विनिमय में उपार्जन, अर्थात्:-
- I. एफओबी आधार पर संगणित मालों का निर्यात ;
 - II. स्वामिस्व, कार्यविधि जानकारी, वृत्तिक और परामर्शी फीस ;
 - III. ब्याज और लाभांश ;
 - IV. अन्य आय, उसकी प्रकृति उपदर्शित करते हुए ।

टिप्पण :- वृहत् शीर्षों का विनिश्चय, वित्तीय विवरणों की सारवानता और उनमें सत्य और उचित मत की प्रस्तुति की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2/6/2008-सीएल.-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 226(अ), तारीख 31 मार्च, 2009 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2011

S.O. 447(E).—Whereas the Central Government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards framed the Companies (Accounting Standards), Rules, 2006 vide G.S.R. No.739(E) dated the 7th December,2006 and was subsequently amended vide notification numbering (i) G.S.R. 212(E),dated the 27th March,2008 (ii) G.S.R. 225(E), dated the 31st March,2009, in exercise of the powers conferred by clause(a) of sub-section(1) of section 642 read with sub-section(1) of section 210A and sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act,1956, (1 of 1956);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 641 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby replace the existing Schedule VI to the said Act by the following Schedule VI, namely:-

"SCHEDULE VI

(See section 211)

GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF BALANCE SHEET AND STATEMENT OF PROFIT AND LOSS OF A COMPANY IN ADDITION TO THE NOTES INCORPORATED ABOVE THE HEADING OF BALANCE SHEET UNDER

GENERAL INSTRUCTIONS

1. Where compliance with the requirements of the Act including Accounting Standards as applicable to the companies require any change in treatment or disclosure including addition, amendment, substitution or deletion in the head/sub-head or any changes interse, in the financial statements or statements forming part thereof, the same shall be made and the requirements of the Schedule VI shall stand modified accordingly.
2. The disclosure requirements specified in Part I and Part II of this Schedule are in addition to and not in substitution of the disclosure requirements specified in the Accounting Standards prescribed under the Companies Act, 1956. Additional disclosures specified in the Accounting Standards shall be made in the notes to accounts or by way of additional statement unless required to be disclosed on the face of the Financial Statements. Similarly, all other disclosures as required by the Companies Act shall be made in the notes to accounts in addition to the requirements set out in this Schedule.
3. Notes to accounts shall contain information in addition to that presented in the Financial Statements and shall provide where required (a) narrative descriptions or disaggregations of items recognized in those statements and (b) information about items that do not qualify for recognition in those statements.

Each item on the face of the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss shall be cross-referenced to any related information in the notes to accounts. In preparing the Financial Statements including the notes to accounts, a balance shall be maintained between providing excessive detail that may not assist users of financial statements and not providing important information as a result of too much aggregation.

4. Depending upon the turnover of the company, the figures appearing in the Financial Statements may be rounded off as below:

Turnover	Rounding off
(i) less than one hundred crore rupees	To the nearest hundreds, thousands, lakhs or millions, or decimals thereof.
(ii) one hundred crore rupees or more	To the nearest, lakhs, millions or crores, or decimals thereof.

Once a unit of measurement is used, it should be used uniformly in the Financial Statements.

5. Except in the case of the first Financial Statements laid before the Company (after its incorporation) the corresponding amounts (comparatives) for the immediately preceding reporting period for all items shown in the Financial Statements including notes shall also be given.

6. For the purpose of this Schedule, the terms used herein shall be as per the applicable Accounting Standards.

Notes

This part of Schedule sets out the minimum requirements for disclosure on the face of the Balance Sheet, and the Statement of Profit and Loss (hereinafter referred to as "Financial Statements" for the purpose of this Schedule) and Notes. Line items, sub-line items and sub-totals shall be presented as an addition or substitution on the face of the Financial Statements when such presentation is relevant to an understanding of the company's financial position or performance or to cater to industry/sector-specific disclosure requirements or when required for compliance with the amendments to the Companies Act or under the Accounting Standards.

PART I – Form of BALANCE SHEET

Name of the Company.....

Balance Sheet as at

(Rupees in.....)

	Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period	Figures as at the end of the previous reporting period
	1	2	3	4
I.	EQUITY AND LIABILITIES			
(1)	Shareholders' funds			
	(a) Share capital			
	(b) Reserves and surplus			
	(c) Money received against share warrants			
(2)	Share application money pending allotment			
(3)	Non-current liabilities			
	(a) Long-term borrowings			
	(b) Deferred tax liabilities (Net)			
	(c) Other Long term liabilities			
	(d) Long-term provisions			
(4)	Current liabilities			
	(a) Short-term borrowings			
	(b) Trade payables			
	(c) Other current liabilities			
	(d) Short-term provisions			
	TOTAL			

II. ASSETS				
	Non-current assets			
(1)	(a) Fixed assets			
	(i) Tangible assets			
	(ii) Intangible assets			
	(iii) Capital work-in-progress			
	(iv) Intangible assets under development			
	(b) Non-current investments			
	(c) Deferred tax assets (net)			
	(d) Long-term loans and advances			
	(e) Other non-current assets			
(2)	Current assets			
	(a) Current investments			
	(b) Inventories			
	(c) Trade receivables			
	(d) Cash and cash equivalents			
	(e) Short-term loans and advances			
	(f) Other current assets			
	TOTAL			

See accompanying notes to the financial statements

Notes

GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF BALANCE SHEET

1. An asset shall be classified as current when it satisfies any of the following criteria:

- (a) it is expected to be realized in, or is intended for sale or consumption in, the company's normal operating cycle;
- (b) it is held primarily for the purpose of being traded;
- (c) it is expected to be realized within twelve months after the reporting date; or
- (d) it is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets shall be classified as non-current.

2. An operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash or cash equivalents. Where the normal operating cycle cannot be identified, it is assumed to have a duration of 12 months.

3. A liability shall be classified as current when it satisfies any of the following criteria:

- (a) it is expected to be settled in the company's normal operating cycle;
- (b) it is held primarily for the purpose of being traded;
- (c) it is due to be settled within twelve months after the reporting date; or

- (d) the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date. Terms of a liability that could, at the option of the counterparty, result in its settlement by the issue of equity instruments do not affect its classification.

All other liabilities shall be classified as non-current.

4. A receivable shall be classified as a 'trade receivable' if it is in respect of the amount due on account of goods sold or services rendered in the normal course of business.

5. A payable shall be classified as a 'trade payable' if it is in respect of the amount due on account of goods purchased or services received in the normal course of business.

6. A company shall disclose the following in the notes to accounts:

A. Share Capital

for each class of share capital (different classes of preference shares to be treated separately):

- (a) the number and amount of shares authorized;
- (b) the number of shares issued, subscribed and fully paid, and subscribed but not fully paid;
- (c) par value per share;
- (d) a reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period;
- (e) the rights, preferences and restrictions attaching to each class of shares including restrictions on the distribution of dividends and the repayment of capital;
- (f) shares in respect of each class in the company held by its holding company or its ultimate holding company including shares held by or by subsidiaries or associates of the holding company or the ultimate holding company in aggregate;
- (g) shares in the company held by each shareholder holding more than 5 percent shares specifying the number of shares held;
- (h) shares reserved for issue under options and contracts/commitments for the sale of shares/disinvestment, including the terms and amounts;
- (i) For the period of five years immediately preceding the date as at which the Balance Sheet is prepared:
 - Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up pursuant to contract(s) without payment being received in cash.
 - Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares.
 - Aggregate number and class of shares bought back.
- (j) Terms of any securities convertible into equity/preference shares issued along with the earliest date of conversion in descending order starting from the farthest such date.

(k) Calls unpaid (showing aggregate value of calls unpaid by directors and officers)

(l) Forfeited shares (amount originally paid up)

B. Reserves and Surplus

(i) Reserves and Surplus shall be classified as:

- (a) Capital Reserves ;
- (b) Capital Redemption Reserve;
- (c) Securities Premium Reserve;
- (d) Debenture Redemption Reserve;
- (e) Revaluation Reserve;
- (f) Share Options Outstanding Account;
- (g) Other Reserves – (specify the nature and purpose of each reserve and the amount in respect thereof);
- (h) Surplus i.e. balance in Statement of Profit & Loss disclosing allocations and appropriations such as dividend, bonus shares and transfer to/from reserves etc.

(Additions and deductions since last balance sheet to be shown under each of the specified heads)

(ii) A reserve specifically represented by earmarked investments shall be termed as a 'fund'.

(iii) Debit balance of statement of profit and loss shall be shown as a negative figure under the head 'Surplus'. Similarly, the balance of 'Reserves and Surplus', after adjusting negative balance of surplus, if any, shall be shown under the head 'Reserves and Surplus' even if the resulting figure is in the negative.

C. Long-Term Borrowings

(i) Long-term borrowings shall be classified as:

- (a) Bonds/debentures.
- (b) Term loans
 - from banks.
 - from other parties.
- (c) Deferred payment liabilities.
- (d) Deposits.
- (e) Loans and advances from related parties.
- (f) Long term maturities of finance lease obligations
- (g) Other loans and advances (specify nature).

(ii) Borrowings shall further be sub-classified as secured and unsecured. Nature of security shall be specified separately in each case.

(iii) Where loans have been guaranteed by directors or others, the aggregate amount of such loans under each head shall be disclosed.

- (iv) Bonds/debentures (along with the rate of interest and particulars of redemption or conversion, as the case may be) shall be stated in descending order of maturity or conversion, starting from farthest redemption or conversion date, as the case may be. Where bonds/debentures are redeemable by installments, the date of maturity for this purpose must be reckoned as the date on which the first installment becomes due.
- (v) Particulars of any redeemed bonds/ debentures which the company has power to reissue shall be disclosed.
- (vi) Terms of repayment of term loans and other loans shall be stated.
- (vii) Period and amount of continuing default as on the balance sheet date in repayment of loans and interest, shall be specified separately in each case.

D. Other Long Term Liabilities

Other Long term Liabilities shall be classified as:

- (a) Trade payables
- (b) Others

E. Long-term provisions

The amounts shall be classified as:

- (a) Provision for employee benefits.
- (b) Others (specify nature).

F. Short-term borrowings

(i) Short-term borrowings shall be classified as:

- (a) Loans repayable on demand
 - from banks.
 - from other parties.
- (b) Loans and advances from related parties.
- (c) Deposits.
- (d) Other loans and advances (specify nature).

(ii) Borrowings shall further be sub-classified as secured and unsecured. Nature of security shall be specified separately in each case.

(iii) Where loans have been guaranteed by directors or others, the aggregate amount of such loans under each head shall be disclosed.

(iv) Period and amount of default as on the balance sheet date in repayment of loans and interest, shall be specified separately in each case.

G. Other current liabilities

The amounts shall be classified as:

- (a) Current maturities of long-term debt;
- (b) Current maturities of finance lease obligations;
- (c) Interest accrued but not due on borrowings;
- (d) Interest accrued and due on borrowings;
- (e) Income received in advance;
- (f) Unpaid dividends
- (g) Application money received for allotment of securities and due for refund and interest accrued thereon. Share application money includes advances towards allotment of share capital. The terms and conditions including the number of shares proposed to be issued, the amount of premium, if any, and the period before which shares shall be allotted shall be disclosed. It shall also be disclosed whether the company has sufficient authorized capital to cover the share capital amount resulting from allotment of shares out of such share application money. Further, the period for which the share application money has been pending beyond the period for allotment as mentioned in the document inviting application for shares along with the reason for such share application money being pending shall be disclosed. Share application money not exceeding the issued capital and to the extent not refundable shall be shown under the head Equity and share application money to the extent refundable i.e., the amount in excess of subscription or in case the requirements of minimum subscription are not met, shall be separately shown under 'Other current liabilities'
- (h) Unpaid matured deposits and interest accrued thereon
- (i) Unpaid matured debentures and interest accrued thereon
- (j) Other payables (specify nature);

H. Short-term provisions

The amounts shall be classified as:

- (a) Provision for employee benefits.
- (b) Others (specify nature).

I. Tangible assets

- (i) Classification shall be given as:
 - (a) Land.
 - (b) Buildings.
 - (c) Plant and Equipment.
 - (d) Furniture and Fixtures.
 - (e) Vehicles.
 - (f) Office equipment.
 - (g) Others (specify nature).
- (ii) Assets under lease shall be separately specified under each class of asset.

- (iii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations and other adjustments and the related depreciation and impairment losses/reversals shall be disclosed separately.
- (iv) Where sums have been written off on a reduction of capital or revaluation of assets or where sums have been added on revaluation of assets, every balance sheet subsequent to date of such write-off, or addition shall show the reduced or increased figures as applicable and shall by way of a note also show the amount of the reduction or increase as applicable together with the date thereof for the first five years subsequent to the date of such reduction or increase.

J. Intangible assets

- (i) Classification shall be given as:
 - (a) Goodwill.
 - (b) Brands /trademarks.
 - (c) Computer software.
 - (d) Mastheads and publishing titles.
 - (e) Mining rights.
 - (f) Copyrights, and patents and other intellectual property rights, services and operating rights.
 - (g) Recipes, formulae, models, designs and prototypes.
 - (h) Licenses and franchise.
 - (i) Others (specify nature).
- (ii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations and other adjustments and the related amortization and impairment losses/reversals shall be disclosed separately.
- (iii) Where sums have been written off on a reduction of capital or revaluation of assets or where sums have been added on revaluation of assets, every balance sheet subsequent to date of such write-off, or addition shall show the reduced or increased figures as applicable and shall by way of a note also show the amount of the reduction or increase as applicable together with the date thereof for the first five years subsequent to the date of such reduction or increase.

K. Non-current investments

- (i) **Non-current investments** shall be classified as trade investments and other investments and further classified as:
- (a) Investment property;
 - (b) Investments in Equity Instruments;
 - (c) Investments in preference shares
 - (d) Investments in Government or trust securities;
 - (e) Investments in debentures or bonds;
 - (f) Investments in Mutual Funds;
 - (g) Investments in partnership firms
 - (h) Other non-current investments (specify nature)

Under each classification, details shall be given of names of the bodies corporate (indicating separately whether such bodies are (i) subsidiaries, (ii) associates, (iii) joint ventures, or (iv) controlled special purpose entities) in whom investments have been made and the nature and extent of the investment so made in each such body corporate (showing separately investments which are partly-paid). In regard to investments in the capital of partnership firms, the names of the firms (with the names of all their partners, total capital and the shares of each partner) shall be given.

- (ii) Investments carried at other than at cost should be separately stated specifying the basis for valuation thereof.
- (iii) The following shall also be disclosed:
- (a) Aggregate amount of quoted investments and market value thereof;
 - (b) Aggregate amount of unquoted investments;
 - (c) Aggregate provision for diminution in value of investments

L. Long-term loans and advances

- (i) Long-term loans and advances shall be classified as:
- (a) Capital Advances;
 - (b) Security Deposits;
 - (c) Loans and advances to related parties (giving details thereof);
 - (d) Other loans and advances (specify nature).
- (ii) The above shall also be separately sub-classified as:
- (a) Secured, considered good;
 - (b) Unsecured, considered good;
 - (c) Doubtful.

- (iii) Allowance for bad and doubtful loans and advances shall be disclosed under the relevant heads separately.
- (iv) Loans and advances due by directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other persons or amounts due by firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member should be separately stated.

M. Other non-current assets

Other non-current assets shall be classified as:

- (i) Long Term Trade Receivables (including trade receivables on deferred credit terms);
- (ii) Others (specify nature)
- (iii) Long term Trade Receivables, shall be sub-classified as:
 - (i) (a) Secured, considered good;
 - (b) Unsecured considered good;
 - (c) Doubtful

(ii) Allowance for bad and doubtful debts shall be disclosed under the relevant heads separately.

(iii) Debts due by directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other person or debts due by firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member should be separately stated.

N. Current Investments

- (i) Current investments shall be classified as:
 - (a) Investments in Equity Instruments;
 - (b) Investment in Preference Shares
 - (c) Investments in government or trust securities;
 - (d) Investments in debentures or bonds;
 - (e) Investments in Mutual Funds;
 - (f) Investments in partnership firms
 - (g) Other investments (specify nature).

Under each classification, details shall be given of names of the bodies corporate (indicating separately whether such bodies are (i) subsidiaries, (ii) associates, (iii) joint ventures, or (iv) controlled special purpose entities) in whom investments have been made

75197"-5

and the nature and extent of the investment so made in each such body corporate (showing separately investments which are partly-paid). In regard to investments in the capital of partnership firms, the names of the firms (with the names of all their partners, total capital and the shares of each partner) shall be given.

- (ii) The following shall also be disclosed:
 - (a) The basis of valuation of individual investments
 - (b) Aggregate amount of quoted investments and market value thereof;
 - (c) Aggregate amount of unquoted investments;
 - (d) Aggregate provision made for diminution in value of investments.

O. Inventories

- (i) Inventories shall be classified as:
 - (a) Raw materials;
 - (b) Work-in-progress;
 - (c) Finished goods;
 - (d) Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading);
 - (e) Stores and spares;
 - (f) Loose tools;
 - (g) Others (specify nature).
- (ii) Goods-in-transit shall be disclosed under the relevant sub-head of inventories.
- (iii) Mode of valuation shall be stated.

P. Trade Receivables

- (i) Aggregate amount of Trade Receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment should be separately stated.
- (ii) Trade receivables shall be sub-classified as:
 - (a) Secured, considered good;
 - (b) Unsecured considered good;
 - (c) Doubtful.
- (iii) Allowance for bad and doubtful debts shall be disclosed under the relevant heads separately.
- (iv) Debts due by directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other person or debts due

by firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member should be separately stated.

Q. Cash and cash equivalents

- (i) Cash and cash equivalents shall be classified as:
 - (a) Balances with banks;
 - (b) Cheques, drafts on hand;
 - (c) Cash on hand;
 - (d) Others (specify nature).
- (ii) Earmarked balances with banks (for example, for unpaid dividend) shall be separately stated.
- (iii) Balances with banks to the extent held as margin money or security against the borrowings, guarantees, other commitments shall be disclosed separately.
- (iv) Repatriation restrictions, if any, in respect of cash and bank balances shall be separately stated.
- (v) Bank deposits with more than 12 months maturity shall be disclosed separately.

R. Short-term loans and advances

- (i) Short-term loans and advances shall be classified as:
 - (a) Loans and advances to related parties (giving details thereof);
 - (b) Others (specify nature).
- (ii) The above shall also be sub-classified as:
 - (a) Secured, considered good;
 - (b) Unsecured, considered good;
 - (c) Doubtful.
- (iii) Allowance for bad and doubtful loans and advances shall be disclosed under the relevant heads separately.
- (iv) Loans and advances due by directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other person or amounts due by firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member shall be separately stated.

S. Other current assets (specify nature).

This is an all-inclusive heading, which incorporates current assets that do not fit into any other asset categories.

**T. Contingent liabilities and commitments
(to the extent not provided for)**

- (i) Contingent liabilities shall be classified as:
- (a) Claims against the company not acknowledged as debt;
 - (b) Guarantees;
 - (c) Other money for which the company is contingently liable
- (ii) Commitments shall be classified as:
- (a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for;
 - (b) Uncalled liability on shares and other investments partly paid
 - (c) Other commitments (specify nature).
- U. The amount of dividends proposed to be distributed to equity and preference shareholders for the period and the related amount per share shall be disclosed separately. Arrears of fixed cumulative dividends on preference shares shall also be disclosed separately.
- V. Where in respect of an issue of securities made for a specific purpose, the whole or part of the amount has not been used for the specific purpose at the balance sheet date, there shall be indicated by way of note how such unutilized amounts have been used or invested.
- W. If, in the opinion of the Board, any of the assets other than fixed assets and non-current investments do not have a value on realization in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated, the fact that the Board is of that opinion, shall be stated.

PART II – Form of STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

Name of the Company.....

Profit and loss statement for the year ended

(Rupees in.....)

	Particulars	Note No.		Figures for the current reporting period		Figures for the previous reporting period
I.	Revenue from operations			xxx		xxx
II.	Other income			xxx		xxx
III.	Total Revenue (I + II)			xxx		xxx
IV.	Expenses: Cost of materials consumed Purchases of Stock-in-Trade Changes in inventories of finished goods work-in-progress and Stock-in-Trade			xxx xxx xxx		xxx xxx xxx

	Employee benefits expense Finance costs Depreciation and amortization expense Other expenses					
	Total expenses			xxx		xxx
V.	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)			xxx		xxx
VI.	Exceptional items			xxx		xxx
VII.	Profit before extraordinary items and tax (V - VI)			xxx		xxx
VIII.	Extraordinary Items			xxx		xxx
IX.	Profit before tax (VII- VIII)			xxx		xxx
X	Tax expense:					
	(1) Current tax		xxx		xxx	
	(2) Deferred tax		xxx		xxx	
XI	Profit (Loss) for the period from continuing operations (VII-VIII)			xxx		Xxx
XII	Profit/(loss) from discontinuing operations			xxx		Xxx
XIII	Tax expense of discontinuing operations			xxx		Xxx
XIV	Profit/(loss) from Discontinuing operations (after tax) (XII-XIII)			xxx		Xxx
XV	Profit (Loss) for the period (XI + XIV)			xxx		xxx
XVI	Earnings per equity share:					
	(1) Basic			xxx		xxx
	(2) Diluted			xxx		xxx

See accompanying notes to the financial statements

GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

1. The provisions of this Part shall apply to the income and expenditure account referred to in sub-section (2) of Section 210 of the Act, in like manner as they apply to a statement of profit and loss.
2. (A) In respect of a company other than a finance company revenue from operations shall disclose separately in the notes revenue from
 - (a) sale of products;
 - (b) sale of services;
 - (c) other operating revenues;Less:
 - (d) Excise duty.
- (B) In respect of a finance company, revenue from operations shall include revenue from
 - (a) Interest; and
 - (b) Other financial services

Revenue under each of the above heads shall be disclosed separately by way of notes to accounts to the extent applicable.
3. Finance Costs
Finance costs shall be classified as:
 - (a) Interest expense;
 - (b) Other borrowing costs;
 - (c) Applicable net gain/loss on foreign currency transactions and translation.
4. Other income
Other income shall be classified as:
 - (a) Interest Income (in case of a company other than a finance company);
 - (b) Dividend Income;
 - (c) Net gain/loss on sale of investments
 - (d) Other non-operating income (net of expenses directly attributable to such income).
5. Additional Information
A Company shall disclose by way of notes additional information regarding aggregate expenditure and income on the following items:-
 - (i) (a)Employee Benefits Expense [showing separately (i) salaries and wages, (ii) contribution to provident and other funds, (iii) expense on Employee Stock Option Scheme (ESOP) and Employee Stock Purchase Plan (ESPP), (iv) staff welfare expenses].
 - (b)Depreciation and amortization expense;

- (c) Any item of income or expenditure which exceeds one per cent of the revenue from operations or Rs.1,00,000, whichever is higher;
- (d) Interest Income;
- (e) Interest Expense;
- (f) Dividend Income;
- (g) Net gain/ loss on sale of investments;
- (h) Adjustments to the carrying amount of investments;

(i) Net gain or loss on foreign currency transaction and translation (other than considered as finance cost);

(j) Payments to the auditor as (a) auditor, (b) for taxation matters, (c) for company law matters, (d) for management services, (e) for other services, (f) for reimbursement of expenses;

(k) Details of items of exceptional and extraordinary nature;

(l) Prior period items;

(ii) (a) In the case of manufacturing companies,-

(1) Raw materials under broad heads.

(2) goods purchased under broad heads.

(b) In the case of trading companies, purchases in respect of goods traded in by the company under broad heads.

(c) In the case of companies rendering or supplying services, gross income derived from services rendered or supplied under broad heads.

(d) In the case of a company, which falls under more than one of the categories mentioned in (a), (b) and (c) above, it shall be sufficient compliance with the requirements herein if purchases, sales and consumption of raw material and the gross income from services rendered is shown under broad heads.

(e) In the case of other companies, gross income derived under broad heads.

(iii) In the case of all concerns having works in progress, works-in-progress under broad heads.

(iv) (a) The aggregate, if material, of any amounts set aside or proposed to be set aside, to reserve, but not including provisions made to meet any specific liability, contingency or commitment known to exist at the date as to which the balance-sheet is made up.

(b) The aggregate, if material, of any amounts withdrawn from such reserves.

(v) (a) The aggregate, if material, of the amounts set aside to provisions made for meeting specific liabilities, contingencies or commitments.

(b) The aggregate, if material, of the amounts withdrawn from such provisions, as no longer required.

(vi) Expenditure incurred on each of the following items, separately for each item:-

- (a) Consumption of stores and spare parts.
- (b) Power and fuel.
- (c) Rent.
- (d) Repairs to buildings.
- (e) Repairs to machinery.
- (g) Insurance .
- (h) Rates and taxes, excluding, taxes on income.
- (i) Miscellaneous expenses,

(vii) (a) Dividends from subsidiary companies.

(b) Provisions for losses of subsidiary companies.

(Viii) The profit and loss account shall also contain by way of a note the following information, namely:-

- a) Value of imports calculated on C.I.F basis by the company during the financial year in respect of –
 - I. Raw materials;
 - II. Components and spare parts;
 - III. Capital goods;
- b) Expenditure in foreign currency during the financial year on account of royalty, know-how, professional and consultation fees, interest, and other matters;
- c) Total value if all imported raw materials, spare parts and components consumed during the financial year and the total value of all indigenous raw materials, spare parts and components similarly consumed and the percentage of each to the total consumption;
- d) The amount remitted during the year in foreign currencies on account of dividends with a specific mention of the total number of non-resident shareholders, the total number of shares held by them on which the dividends were due and the year to which the dividends related;

e) Earnings in foreign exchange classified under the following heads, namely:-

- I. Export of goods calculated on F.O.B. basis;
- II. Royalty, know-how ,professional and consultation fees;
- III. Interest and dividend;
- IV. Other income, indicating the nature thereof

Note:-Broad heads shall be decided taking into account the concept of materiality and presentation of true and fair view of financial statements,".

2. This notification shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

[F. No. 2/6/2008-CL.-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. No.414, dated the 21st March, 1961 last amended vide G.S.R No. 226(E), dated the 31st March, 2009.

